आपातकालीन सेवायें/अत्यावश्यक/आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक:पीएस/पीएचएस/2011 दिनांक: 21-12-2011

समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषयः– **निजी अस्पतालों/स्वयंसेवी अस्पतालों को ओ.पी.डी., आपातकालीन एंव जॉच सुविधाओं हेतु अधिकृत करने के सम्बधं में।**

राज्य के सेवारत् चिकित्सकों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 से कार्य बहिष्कार/अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में आमजन को वैकल्पिक चिकित्सकीय अत्यावश्यक सेवाऐं उपलब्ध कराने के सम्बधं में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. आमजन की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुये सम्भागं/जिला/उपखण्ड मुख्यालय स्तरीय अस्पतालों में आने वाले मरीजों के उपचार हेतु कार्य बहिष्कार अवधि के दौरान निजी अस्पतालों/स्वयंसेवी अस्पतालों को ओ.पी.डी., आपातकालीन एंव जॉच सुविधाओं हेतु अधिकृत किया जाये तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली परामर्श व नैदानिक सेवाओं का व्यय आर.एम.आर.एस. द्वारा किया जायें, जिसका समुचित पुनर्भरण बाद में राजकोष से किया जायेगा।
2. अस्पतालों को अधिकृत करने की जिम्मेदारी सम्भाग मुख्यालय पर सम्भागीय आयुक्त, जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर व उपखण्ड मुख्यालय पर उप खण्ड अधिकारी की होगी।
3. पुनर्भरण की अधिकतम सीमा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 मई, 2011 जिसमें चिकित्सा अधिकारियों के परामर्श शुल्क का निर्धारण किया गया है, में इंगित फीस यथा मेडिकल ऑफिसर द्वारा परामर्श देने पर 75/–रूपये प्रति मरीज एंव विशेषज्ञ चिकित्सक (एम.डी./एम.एस.) द्वारा परामर्श देने पर 125/–रूपये होगी। नैदानिक सेवाओं (लैब जाचॅ एंव एक्सरे) का पुनर्भरण स्थानीय मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की दरों पर होगा।
4. अधिकृत निजी/स्वयंसेवी अस्पताल को आम–जन को निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने वाले कक्ष/ब्लॉक के बाहर यह स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा कि उक्त सुविधा राज्य सरकार द्वारा आम–जन को निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही ऐसे ओ.पी.डी. व आपातकालीन रोगियों का पृथक से रजिस्टर संधारित करना होगा, जिसमें मरीज का पूर्ण पता लिखा हो।
5. निजी चिकित्सकों को दवाऐं डबल प्रिस्क्रपशन स्लिप पर लिखनी होगी, जिससे मरीज कार्बन कॉपी लेकर पास के राजकीय चिकित्सालय से निशुल्क दवा प्राप्त कर सके।

6. रोगियों की सुविधा हेतु निजी चिकित्सालय में भी अस्थाई निशुल्क दवा वितरण केन्द्र स्थापित किये जायें जिससे राजकीय फार्मासिस्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही निशुल्क दवायें दी जा सकें। अस्पताल को परामर्श व निदान के लिये भुगतान हेतु संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधिकार में अधिकृत होंगे।

7. उपरोक्त आदेशों की क्रियान्विति हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्भागीय आयुक्त, जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारियों द्वारा निजी/स्वयंसेवी अस्पतालों की बैठक बुलाई जाये तथा उन्हें इस आदेश की जानकारी देकर उनकी सहमती के पश्चात् इसको तत्काल लागू करें। साथ ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में ओ.पी.डी. प्रिस्क्रपशन स्लिप दी जायें। अस्थाई दवा वितरण केन्द्र की स्थापना हेतु राजकीय अस्पताल स्थित फार्मासिस्ट को पर्याप्त मात्रा में निशुल्क दवायें लेकर निजी चिकित्सालय में ओ.पी.डी. व आपातकालीन रोगियों को दवा वितरण के निर्देश प्रदान करें।

(एस. अहमद)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
7. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग